कार्यालय- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची- 2

पत्रांक-   दिनांक-

प्रेषक,

जे० बी० जौहर,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
झारखण्ड, रांची- 2

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन एवं पर्यावरण विभाग,
झारखण्ड सरकार, रांची

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2008-09 में कार्यान्वित की जाने वाली समेकित वन सुरक्षा योजना, केन्द्र प्रायोजित योजना (75:25) (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अन्तर्गत कुल रू० 236.943 लाख (दो करोड़ छत्तीस लाख चौरानबे हजार तीन सौ) का स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के संबंध में ।**

महाशय,

सूचित करना है कि समेकित वन सुरक्षा योजना, केन्द्र प्रायोजित योजना (75:25) का प्रारम्भ वित्तीय वर्ष 2003-04 से किया गया है । इस योजनान्तर्गत वन सुरक्षा से संबंधित निम्न कार्यो का सम्पादन किया जाता है :-

क) वनों को अग्नि से सुरक्षा प्रदान करना ।
ख) वनों की सुरक्षा के लिए आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण ।
ग) कार्य नियोजना, सर्वे एवं सीमांकन ।

इस योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य के ज0जा0क्षे0उ0यो0 कार्य क्षेत्र के अधीन विभिन्न प्रमण्डलों/ अंचलों द्वारा उपरोक्त कार्य किया जायेगा, जिससे वनों की अग्नि से सुरक्षा, वन भूमि का सर्वे/ सीमांकन का कार्य एवं आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरणएवं संचार व्यवस्था में सुधार होगा ।

2. इस योजना का स्वरूप वार्षिक है, और इसका क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2008-09 में किया जायेगा । वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए भारत सरकार द्वारा पत्रांक- 3-18/2007-एफ0पी0डी0, दि0- 27.06.08 द्वारा 393.00 लाख रु० के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है जिसमें केन्द्रांश 294.75 लाख रू० तथा राज्यांश 98.25 लाख रू० सम्मिलित है । वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत 236.00 लाख रू० की स्वीकृति संसूचित किया गया है जिसमें से 217.872 लाख रु० की राशि विमुक्त की गई है । जिसमें वित्तीय वर्ष 2007-08 की अव्यवहृत राशि 18.128 लाख रु० के समायोजित है । इस संबंध में भारत सरकार द्वारा पत्रांक- 3-18/ 2007-एफ०पी०डी० दिनांक- 27.06.08 अनु०- 1 पर दृष्टब्य है ।

3. जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत प्रस्तावित राशि से किये जाने वाले कार्यो की विवरणी निम्नवत है :-

(क) वनों की सुरक्षा के लिए आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण :- इस मद के अन्तर्गत नाका शेड, कॉजवे और कल्वट, फॉयर वाच टावर निर्माण एवं मोटरगाड़ी, जी०पी०एस० आदि का क्रय किया जायेगा ।

(ख) कार्य नियोजना एवं सर्वे सीमांकन कार्य :- इस मद के अन्तर्गत मिट्टी के सीमा स्तम्भ, सिमेंट के सीमा स्तम्भों का निर्माण किया जायेगा । इसके अतिरिक्त फायरलाईन कि०मी० की सफाई, कमिटी पर व्यय, प्रचार, प्रसार आदि कार्य किये जायेंगे ।

प्रस्तावित कार्यो का प्रमण्डलवार/ कार्यालयवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनु०- 2क पर दृष्टब्य है ।

4. इस योजना के लिए बजट मुख्य शीर्ष 2406 वानिकी और वन्य जीवन, उप मुख्य शीर्ष- 02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन, जनजातीय उपयोजना, लघुशीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष- 01 समेकित वन सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 60.00 लाख रु० का बजट उपबंध राज्यांश स्वीकृत है (ब०पु०प०सं०- 154), साथ ही 180.00 लाख रु० का बजट उपबंध केन्द्रांश (ब०पु०प०सं०- 20)पर दर्शायी है । राज्यांश एवं केन्द्रांश के लिए स्वीकृत बजट उपबंध की इकाईवार विवरणी निम्नवत है :-

(रू० लाख में)

क्रम सं०	प्राथमिक इकाईयां	बजट के अनुसार		कुल राशि रू0 लाख में
		(राज्यांश)	(केन्द्रांश)	
1	मजदूरी	38.67	116.01	154.68
2	मशीनरी एवं उपकरण	2.16	6.48	8.64
3	प्रचार, प्रसार एवं सेमिनार	0.675	2.025	2.70
4	आपूर्ति एवं सामग्री	12.495	37.485	49.98
5	नई मोटर गाड़ी का क्रय	6.00	18.00	24.00
	कुल :-	**60.00**	**180.00**	**240.00**

5. यह नई योजना है । किन्तु इसी प्रकृति के कार्य वित्तीय वर्ष 2007-08 में इस योजनान्तर्गत किए गए थे जिसकी भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि सह उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुलग्नक 3 एवं 4 पर द्रष्टव्य है।

6. इस योजनान्तर्गत प्रस्तावित सीमा स्तम्भों के निर्माण कार्यो के लिए तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त है । निर्माण सम्बंधित कार्यो के लिए प्राक्कलन अनुलग्नक- 5 एवं 6 पर द्रष्टव्य है ।

7. इस योजनान्तर्गत क्रय हेतु जी0पी0एस0 एवं मोटरगाड़ी का क्रय DGS&D दर के आधार पर किया जायेगा ।

8. इस योजना के लिए बजट मुख्य शीर्ष 2406 वानिकी और वन्य जीवन, उप मुख्य शीर्ष- 02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन, जनजातीय उपयोजना, लघुशीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष- 01 समेकित वन सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 60.00 लाख रु० का बजट उपबंध राज्यांश स्वीकृत है (ब०पु०प०सं०- 154), साथ ही 180.00 लाख रु० का बजट उपबंध

केन्द्रांश (ब०पु०प०सं०- 20)पर स्वीकृत है। व्यय हेतु प्रस्तावित राशि निम्नलिखित प्राथमिक इकाईयों में विकलनीय होगी :-

क्र० सं०	प्राथमिक इकाईयां	**प्रस्तावित राशि की इकाईवार विवरणी (रू०लाख में)**	**केन्द्रांश (75%)**	**राज्यांश (25%)**
1	मजदूरी	154.310	115.733	38.577
2	मशीन एवं उपकरण	6.00	4.500	1.500
3	प्रचार, प्रसार एवं सेमिनार	2.70	2.025	0.675
4	आपूर्ति एवं सामग्री	49.933	37.450	12.483
5	नई मोटर गाड़ी का क्रय	24.00	18.000	6.000
	कुल योग :-	236.943	177.708	59.235

9. इस योजना के क्रियान्वयन से लगभग 1.715 लाख मानव दिवस का सृजन होगा ।

10. इस योजना के लिए भारत सरकार द्वारा कुल रु० 217.872 लाख राशि विमुक्त की गई है जिसमें 18.128 लाख रू0 वित्तीय वर्ष 2007-08 के अखर्च शेष राशि समायोजित हैं ।अतः इस योजना के कियान्वयन के लिए वर्तमान में 217.872 लाख रु० उपलब्ध है।

11. वित्तीय वर्ष 2008-09 में कार्यान्वित की जानेवाली योजना हेतु अनुलग्नक- 2 मे वर्णित पदाधिकारी अपने-अपने कार्यालयों/ क्षेत्रों से संबंधित कार्यो के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे ।

अतः अनुरोध है कि योजना का स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की कृपा करें ।

अनु0यथोक्त ।

आपका विश्वासी,

ह0/-

(जे०बी०जौहर)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
झारखण्ड, राँची- 2

ज्ञापांक- **दिनांक-**

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची/मुख्य वन संरक्षक, विकास, जनजातीय क्षेत्र, झारखण्ड, रॉंची/वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

(जे०बी०जौहर)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची- 2